

20/2/18

पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण प्रतिवादीगण  
उपस्थित। एस.डी.ओ. साहब अन्य कार्य में  
व्यस्त है। भ्रमण पर है। मिसल गत आदेशानुसार  
दिनांक 6/3/18 को पेश हो

6/3/18

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक सच रामगढ़ शेखावाटी  
में कार्य स्थगित कर रखा है। पत्रावली गत आदेशानुसार  
दिनांक 17/4/18 को पेश हो

17/4/18

पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण प्रतिवादीगण  
उपस्थित। पत्रावली गत आदेशानुसार  
दिनांक 24/4/18 को पेश हो

~~12/11/18~~  
~~पुकिंगुड~~  
अधिकारी  
रामगढ़ शेखावाटी

24/4/18

पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण प्रतिवादीगण  
उपस्थित। एस.डी.ओ. साहब अन्य कार्य में  
व्यस्त है। भ्रमण पर है। मिसल गत आदेशानुसार  
दिनांक 21/5/18 को पेश हो

21/5/18 पत्रावली राजद्वार लोक आडालत/किंग  
कोर्ट डेडी में पेश हुई। शर्मा  
श. 2 हाजिर अर्थात् (ग) हाजिर नहीं  
उसमें अर्थात् (ग) विवादित कारण  
के रिकॉर्ड स्वतंत्र है अर्थात् (ग)  
का विवादित कारणों के कोर्ट

नम्बर  
अहकाम  
हुक्म की  
में जारी हुए

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर २ तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तामील  
में जारी हुए

सम्बन्ध सरोकार नहीं है। अर्थात्  
श. 1 ने डाइरेक्ट जजमेंट नहीं  
दिया है और वह ही राज्य हाजिरे  
हादत मामला है। अतः अर्थात्  
श. 1 की जजमेंट देनी बन्द की  
जाती है। अग्रपक्षकारों में अर्थात्  
पर ही वें से लेकर विवाद  
है। अतः विवादित आराजी की  
पत्थरगढी कुरवामी जानी उचित  
है ताकि विवाद का समाधान  
हो सके। अतः तद्वशील्दत्त  
सामग्री को डाइरेक्ट किया  
जाता है कि विवादित आराजी  
श. नं. 194, 195, 196, 200 वाले  
आराज लापडा का विममानुसार  
सीमाना व पत्थरगढी कुरवामी  
विषय राज्य दिनांक 21/5/18  
को जैम और में खुले न्यायालय  
में दुगागा रामा पत्रावली के  
दुगागा रैम नम्बर से का है।  
तारीख इतर के

उपखण्ड अधिकारी